राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति

उत्तर प्रदेश : परिवहन क्षेत्र के सुधार हेतु अन्तर्राज्यीय परिवहन प्राधिकरण होने चाहिए

- *राजमार्गों पर अतिक्रमण रोकने लिए बने कड़ा कानून*
- *विद्यमान परिवहन अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव प्राथमिकता पर हो*
- *राज्य के अन्दर ही स्थापित किए जाने वाले हवाई–अड्डों के बीच न्यूनतम दूरी 75 किमी होनी चाहिए*
- *बड़े नगरों में रेलवे स्टेशनों की संख्या बढ़नी चाहिए; नये परिवहन क्षेत्र बनने चाहिए*

लखनऊ, 14 सितम्बर 2012:

एकीकृत एवं टिकाऊ परिवहन प्रणाली को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति को दिए जाने वाली राज्य की संस्तुतियों में **उत्तर प्रदेश के परिवहन वर्किंग ग्रुप** ने **अर्न्राज्यीय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों** को स्थापित करने की सिफारिश की है। **राष्ट्रीय स्तर पर एक अपील प्राधिकारी** तथा **राज्य स्तरीय परिवहन आयोग** बनाने की सलाह भी दी गई है। यह आयोग नवसृजित परिवहन क्षेत्रों में विभिन्न परिवहन परियोजनाओं, जैसे–नयी रेल पटरियाँ, नये राजमार्ग व वाहन मार्गों, के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत होंगे।

इस सम्बन्ध में आज यहाँ **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी), अनिल कुमार गुप्ता** की अध्यक्षता में राज्य परिवहन वर्किंग ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति को भेजी जाने वाली संस्तुतियों पर निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति का गठन **राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति** बनाने के लिए किया गया है।

आइआइडीसी, अनिल कुमार गुप्ता ने कहा– "अपने राज्य सहित विभिन्न पड़ोसी राज्यों में उन स्थानों तक जहाँ से लोगों का आवागमन अधिक होता है आवश्यकतानुसार परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों बनाने की जरूरत है।" उन्होंने कहा इसके साथ ही किसी विवाद या मतभेद की दशा में समाधान हेतु केन्द्रीय स्तर पर एक अपीलीय प्राधिकरण भी होना चाहिए।

विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं के अनुरक्षण की जरूरत पर जोर देते हुए **आइआइडीसी ने कहा कि पहले से बने हुए राजमार्गों के रख–रखाव के लिए एक सक्षम व्यवस्था होनी चाहिए और यदि इसके लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हो तो सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) को अपनाना भी एक विकल्प हो सकता है। उन्होंने वर्किंग ग्रुप से कहा कि संस्तुतियों में राजमार्गों पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक कड़े कानून की सलाह को भी शामिल किया जाए।**

वर्किंग ग्रुप की अन्य संस्तुतियों में राज्य के अन्दर स्थापित किए जाने वाले **हवाई–अड्डों के मध्य न्यूनतम दूरी 75 किमी निर्धारित करना, बड़े नगरों में रेलवे स्टेशनों की संख्या बढ़ाना और कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पाइपलाइन** को पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से होते हुए लाने की राज्य सरकार की योजना भी शामिल है।

इस सन्दर्भ में राज्य परिवहन वर्किंग ग्रुप को सहायता हेतु गठित सब–ग्रुप के अध्यक्ष **परिवहन आयुक्त, आलोक कुमार** ने सूचित किया कि **नये परिवहन क्षेत्रों के सृजन** हेतु संस्तुति की जा रही है क्योंकि परिवहन क्षेत्र के प्रशासन की प्रकृति सामान्य प्रशासन हेतु गठित जनपदों से भिन्न होती है। प्रस्तावित **राजकीय राज्मार्ग विकास योजना** को भी संस्तुतियों में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति बनाने हेतु उत्तर प्रदेश की इन संस्तुतियों को तैयार करने के लिए संबंधित विभागों और आई.आई.टी कानपुर के विशेषज्ञों की राय ली गई। बैठक में प्रमुख सचिव, परिवहन–बीएस भुल्लर, परिवहन आयुक्त–आलोक कुमार तथा लोक निर्माण, नागरिक उड्डयन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।